Received through mail, Date :- 27-12-19

पत्र सं०-को०प्र०/विविध-03/2017......................../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव, भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-...........................

विषयः- सेवान्त लाभ के लिए निर्गत प्राधिकार पत्र के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु निर्गत प्राधिकार पत्र में भुगतान करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार का नाम स्पष्ट रूप से अंकित रहना आवश्यक है । CFMS में कई कार्यालयों को दूसरे कोषागार से मैप किया गया है । लेकिन अभी भी पूर्व की भाँति पुराने DDO तथा कोषागार के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा रहा है । इससे कोषागार स्तर से भुगतान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

अतएव इस संबंध में सभी संबंधित कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय कि सेवांत लाभ के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने के अनुरोध में CFMS के अंतर्गत भुगतान करने वाले डी०डी०ओ० तथा उनसे संबद्ध कोषागार का नाम दर्ज किया जाय ताकि वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार(लि० एवं ह०), बिहार, पटना एवं भविष्य निधि निदेशालय, पटना नये डी०डी०ओ० एवं कोषागार के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत कर सके ।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(सुनील कुमार यादव)
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांकः- को०प्र०/विविध-03/2017.......10291.........पटना, दिनांक-...26/12/19...

प्रतिलिपिः- महालेखाकार(लि० एवं ह०), बिहार, पटना/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार यादव)
संयुक्त सचिव ।
26/12/19

अपर सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
डायरी सं० 65
16.1.2020

सचिव
जल संसाधन विभाग
पत्र संख्या 5812
दिनांक 27/12/19
N36-S-2019

अपर स० (मु०)
उप सचिव (मु०)
प्रशाखा-01
17/1/2020
श्रीशेखर 17-1-20
13/ 17/01/2020
101 16-01-2020

(60)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 01/स्था0–वि0–26–04/2020– 258 पटना, दिनांक– 27.1.2020

प्रतिलिपिः– मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (अवर सचिव स्तर तक)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्र0–01, 03, 05, 07, 09/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक/आई0टी0/मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मोहन पासवान)

सरकार के अवर सचिव